उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी. – १२, वी, विभूति खण्ड विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

86
333
W-32
28.4.16

F 77903

वैधता अवधि–02 वर्ष हेतु मान्य

संदर्भ संख्या........... सी–5/एन0ओ0सी0–785/16 दिनांक 27-4-16

सेवा में, पंजीकृत

श्री रमेश मिश्र,
अधिशासी अभियन्ता
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
कंस्ट्रक्शन डिवीजन–21, आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर–9,
वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ।

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई मै0 मन्दाकिनी एन्क्लेव, की स्थापना हेतु स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन पत्र एवम् बोर्ड में प्रस्तुत बैंक गारन्टी दिनांक 09.03.16 का संदर्भ लें। परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों के समुचित अनुपालन की शर्त के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सशर्त स्थापनार्थ सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) स्वीकृत की जाती है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।

(क) स्थलः	खसरा नं0– 183, 189, 190, 193, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 194,195,196 सेक्टर–2 ए अवध बिहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।
(ख) उत्पादनः	ग्रुप हाउसिंग परियोजना बिल्टअप एरिया 96798.62 वर्गमीटर है।
(ग) मुख्य कच्चे मालः	ईट, मौरंग, सरिया इत्यादि भवन निर्माण से सम्बन्धित
(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्राः	666 कि0ली0 /दिन उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवध बिहार योजना सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित 60 एम0 एल0 डी0 के संयुक्त एस0टी0पी0 में शोधन हेतु।
(ङ) प्रयुक्त ईधनः	750 के0वी0ए0 क्षमता के 15 डी0जी0 सेट डीजल आवश्यकतानुसार।

उपर्युक्त विषय वस्तु में से किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

1. इकाई का संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि वह राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले।
2. इकाई द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार परियोजना से जनित घरेलू मल/जल 666 कि0ली0/दिन का निस्तारण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड, लखनऊ के स्थापित किये जा रहे 60 एम0एल0डी0 क्षमता के संयुक्त एस0टी0पी0 में किया जाये।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण का कार्य किया जाये।
4. प्रस्तावित डी0जी0 सेट पर बोर्ड मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाये।
5. इकाई से जनित म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट का सेग्रीगेशन श्रोत पर ही किया जायेगा एवं प्रस्तावानुसार भण्डारण एवं निस्तारण म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट रूल्स 2000 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार ही किया जाये।
6. इकाई में निर्माण के दौरान जनित उत्सर्जको के नियत्रण हेतु तथा घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोक पिट में किया जाये।
7. परियोजना में प्रस्तावित नलकूपों द्वारा दोहन के सम्बन्ध में भू गर्भ जल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

A.O.
28/4/16

मै0 मन्दाकिनी एन्क्लेव, खसरा नं0– 183, 189, 190, 193, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 194,195,196 सेक्टर–2 ए अवध बिहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ।

8. इकाई में प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग की स्थापना करना अनिवार्य होगा।
9. प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जाये।
10. इकाई के निर्माण के दौरान जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंक्लिंग, कार्यक्षेत्र को कवर किया जाना आदि उपाय किए जाए तथा मैटेरियल को प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का आवागमन इस प्रकार से करें कि आस–पास के जनमानस एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे।
11. इकाई परिसर में सौर ऊर्जा चालित प्रकाश व्यवस्था का वैकल्पिक प्रयोग अधिकाधिक स्थानों पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. आवासीय कालोनी से जनित ई–वेस्ट के पृथकीकरण, एकत्रण , ट्रान्सपोर्टेशन एवं निस्तारण हेतु अलग से व्यवस्था की जाये।
13. ऊँची इमारतों के निर्माण से पूर्व नियमानुसार एअरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. इकाई परिसर में चारों तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भू–भाग में हरित पट्टिका की स्थापना की जाये।
15. डी0जी0 सेट से जनित निष्प्रयोज्य लुब्रीकेन्ट आयल को बोर्ड से प्राधिकृत (प्राधिकार प्राप्त) रिसाइकलर को देना सुनिश्चित करें।
16. परियोजना में राज्य बोर्ड से पृथक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना हाटमिक्स/रेडीमिक्स/वेट मिक्स प्लान्ट की स्थापना न की जाये।
17. परियोजना में किसी प्रकार की औद्योगिक उत्पाद हेतु उद्योग की स्थापना नहीं की जाये।
18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाये।
19. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में उद्योग द्वारा प्रेषित बैंक गारन्टी संख्या 6852IPEBG160003 Rs. 10,00,000/- बोर्ड के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तो एवं सामान्य शर्तो का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तो में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.04.2016 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

भवदीय,

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं0 /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अभियन्ता
प्रभारी (सर्किल–5)

टी.सी. – १२, वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–२२६०१०
दूरभाष २७२०८३१, २७२०८२८, २७२०६९१, २७२०६८१
फैक्स ०५२२–२७२०७६४
ई–मेल– info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. – 12, V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com